



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39163

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2067/2026

श्यामलाल कुशवाहा

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मोन् उपाध्याय

विपक्षी के अधिवक्ता : जीए, सुगंधा यादव, विनोद कुमार यादव

कोर्ट नं. - 65

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सूचनाकर्ता/पीड़ित ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने शादी के बहाने शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन उसने किसी अन्य लड़की के साथ शादी की थी। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई वादा कभी नहीं किया गया था और इसलिए बी.एन.एस. की धारा 69 की सामग्री वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होती है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। अधिवक्ता के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर लागू करना उचित समझे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आवेदक 26.10.2025 से जेल में बंद है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही को पूर्व-परीक्षण चरण में नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए, वह किसी भी भोग के योग्य नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

4. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, साक्ष्य की प्रकृति, और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है।

5. बी.एन.एस. की धारा 64(1), 351(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत 2025 के केस क्राइम नंबर 262 में शामिल आवेदक **श्यामलाल कुशवाहा**, पुलिस स्टेशन तुर्कपट्टी, जिला कुशीनगर को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो भारी स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



iv) आवेदक उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके लिए आवेदक पर आरोप लगाया गया है, या आयोग का संदेह है।

v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

6. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी)

फ़रवरी 20, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"